

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या 89, दिनांक 21-03-2025

विगत 08 वर्षों से फरार चल रहे जनपद प्रतापगढ़ से ₹0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त तवरेज गिरफ्तार।

दिनांक 21-03-2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित ₹0 50 हजार के पुरस्कार घोषित अभियुक्त तवरेज को जनपद प्रतापगढ़ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

तवरेज पुत्र सामुद अली निवासी रामपुर बन्तरी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़। (उम्र 34 वर्ष)

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय-

मझिगंवा पुल, क्षेत्रान्तर्गत थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़। दिनांक 21-03-2025 समय करीब 01:55 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वांछित एवं पुरस्कार घोषित सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, एस0टी0एफ फील्ड इकाई कानपुर के नेतृत्व में पुरस्कार घोषित फरार अपराधियों के सम्बन्ध में सूचना संकलन की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 श्री राहुल परमार के नेतृत्व में मु0आ0 पुष्पेन्द्र सिंह, मु0आ0 चन्द्र प्रकाश सिंह, मु0आ0 अरविन्द सिंह, देवेश द्विवेदी, आरक्षी सत्यम यादव चालक धर्मेन्द्र प्रताप की एक टीम जनपद प्रतापगढ़ में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना मिली कि थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित ₹0 50 हजार का पुरस्कार घोषित अपराधी तवरेज पिछले आठ वर्षों से लगातार फरार चल रहा है, जो किसी से मिलने के लिए मझिगंवा पुल, क्षेत्रान्तर्गत थाना मान्धाता के पास आने वाला है। प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त तवरेज ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष-2016 में उसने व उसके सालों (पत्नी के भाईयों) ने मिलकर आपसी झगड़े में गाँव के जमील अहमद की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये वह फरार हो गया था। फरार होकर वह मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, होशंगाबाद, नर्मदापुरम जनपद में वह ट्रक ड्राइवरी का काम करता रहा। आज अपने रिश्तेदार से मिलने के लिये यहाँ आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:—

- 1— मु0अ0सं0 113/15 धारा 147, 307, 323, 504, 506 भादवि थाना मान्धाता, प्रतापगढ़।
- 2— मु0अ0सं0 273/2016 धारा 147, 148, 149, 286, 302, 307, 323, 504, 506 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।
- 3— मु0अ0सं0 157/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मान्धाता, प्रतापगढ़।
- 4— मु0अ0सं0 82/2017 धारा 174 ए भा0द0वि0, थाना मान्धाता, प्रतापगढ़।
- 5— मु0अ0सं0 334/2017 धारा 174ए भा0द0वि0, थाना मान्धाता, प्रतापगढ़।
- 6— मु0अ0सं0 389/2018 धारा 387, 506 भा0द0वि0 थाना मान्धाता, प्रतापगढ़।

अभियुक्त तवरेज को थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।